



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
24/03/2022	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</u></p> <p style="text-align: center;">एस० ए० आर० पुनरीक्षण 109/2016</p> <p style="text-align: center;">बाल कुमारी देवी बनाम् राज्य एवं मंगल उरांव</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन एस० ए० आर० अपील क्रमांक-214R-15/2014-15 में उपायुक्त, राँची द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया था। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा एस० ए० आर० वाद संख्या-161/2011-12 में खाता नम्बर-29, प्लॉट नम्बर-430 में अवस्थित 4 डिसमिल भूमि के आदिवासी रैयत से किये गये हस्तांतरण के लिये 75,000.00 हजार रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया था। उपायुक्त न्यायालय द्वारा उक्त आदेश को रद्द करते हुये भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। उपायुक्त न्यायालय द्वारा दिनांक-05.06.2016 को आदेश पारित करने के पश्चात् यह पुनरीक्षण 02 माह 23 दिन के विलम्ब से दायर किया गया है।</p> <p>पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के पश्चात् विगत 05 वर्षों से किसी भी तिथि को आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। जिस कारण यह वाद अभी तक सुनवाई हेतु अंगीकृत नहीं किया जा सका है। स्पष्टतः आवेदक को इस पुनरीक्षण वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। आवेदक द्वारा अपने पुनरीक्षण आवेदन के साथ विशेष विनियमन पदाधिकारी का आदेश संलग्न किया गया है तथा अपीलीय न्यायालय का आदेश भी संलग्न नहीं है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: right;">  आयुक्त 14/3/22 </p> <p style="text-align: left;">  आयुक्त 14/3/22 </p>	